

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 5 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचकूला व यमुनानगर) में उन्नत तकनीक पर उड़द के प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 05-08-2022 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर उड़द के प्रदर्शन प्लाट पर रू0 3600/-एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Urd demonstrations) Kharif-2022. (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	60	2.16	48	1.73	12	0.43
2	Kuk	20	0.72	16	0.58	4	0.14
3	Palwal	20	0.72	16	0.58	4	0.14
4	Panchkula	100	3.60	80	2.88	20	0.72
5	Y.Nagar	50	1.80	40	1.44	10	0.36
	Total	250	9.00	200	7.20	50	1.80

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 17 जिलों (भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर) में उन्नत तकनीक पर मूंग के प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 05-08-2022 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर मूंग के प्रदर्शन प्लाट पर रू0 3600/-एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Moong demonstrations)							
Kharif-2022. (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	330	11.88	264	9.50	66	2.38
2	C.Dadri	150	5.40	120	4.32	30	1.08
3	Faridabad	20	0.72	16	0.58	4	0.14
4	Fatehabad	50	1.80	40	1.44	10	0.36
5	Gurugram	20	0.72	16	0.58	4	0.14
6	Hisar	250	9.00	200	7.20	50	1.80
7	Jhajjar	50	1.80	40	1.44	10	0.36
8	Jind	10	0.36	8	0.29	2	0.07
9	M.Garh	250	9.00	200	7.20	50	1.80
10	Mewat	30	1.08	24	0.86	6	0.22
11	Palwal	20	0.72	16	0.58	4	0.14
12	Panipat	10	0.36	8	0.29	2	0.07
13	Rewari	70	2.52	56	2.02	14	0.50
14	Rohtak	20	0.72	16	0.58	4	0.14
15	Sirsa	75	2.70	60	2.16	15	0.54
16	Sonipat	10	0.36	8	0.29	2	0.07
17	Y.Nagar	10	0.36	8	0.29	2	0.07
	Total	1375	49.50	1100	39.60	275	9.90

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 14 जिलों (चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक व सोनीपत) में उन्नत तकनीक पर अरहर के प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 05-08-2022 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर अरहर के प्रदर्शन प्लाट पर ₹0 3600/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Arhar demonstrations) Kharif-2022. (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	C.Dadri	20	0.72	16	0.58	4	0.14
2	Faridabad	22.5	0.81	18	0.65	4.5	0.16
3	Fatehabad	10	0.36	8	0.29	2	0.07
4	Gurugram	35	1.26	28	1.01	7	0.25
5	Hisar	10	0.36	8	0.29	2	0.07
6	Jhajjar	45	1.62	36	1.30	9	0.32
7	Jind	10	0.36	8	0.29	2	0.07
8	M.Garh	40	1.44	32	1.15	8	0.29
9	Mewat	90	3.24	72	2.59	18	0.65
10	Palwal	30	1.08	24	0.86	6	0.22
11	Panipat	20	0.72	16	0.58	4	0.14
12	Rewari	10	0.36	8	0.29	2	0.07
13	Rohtak	25	0.90	20	0.72	5	0.18
14	Sonipat	30	1.08	24	0.86	6	0.22
	Total	397.5	14.310	318	11.448	79.5	2.862

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा मिशन—दहलन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 10 जिलों (भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, महेन्द्रगढ, मेवात, रेवाड़ी तथा रोहतक) जिलों में फसल आधारित प्रणाली प्रदर्शन प्लाट (मूंग + चना) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> under the link **E-Agri Schemes Governance link** पर आनलाईन आवेदन दिनांक 05-08-2022 तक कर सकते हैं।

फसल आधारित प्रणाली प्रदर्शन प्लाट (मूंग + चना) पर रू0 6000/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Cropping system based Demonstration (Moong+ Gram)

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses- Moong+ Gram cropping system based Demonstration (Bajra) Kharif-2022-23 Assistance @ Rs. 6000/ acre							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	40	2.40	32	1.92	8	0.48
3	Gurugram	30	1.80	24	1.44	6	0.36
4	Hisar	35	2.10	28	1.68	7	0.42
5	Jhajjar	40	2.40	32	1.92	8	0.48
6	Jind	30	1.80	24	1.44	6	0.36
7	M.Garh	45	2.70	36	2.16	9	0.54
8	Mewat	22.5	1.35	18	1.08	4.5	0.27
9	Rewari	40	2.40	32	1.92	8	0.48
10	Rohtak	35	2.10	28	1.68	7	0.42
	Total	317.5	19.05	254	15.24	63.5	3.81

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है। जो किसान खरीफ मौसम में बाजरा की बिजाई करेगा उसने उसी खेत में रबी मौसम में चना लगानी होगी। जो किसान खरीफ मौसम में मूंग की बिजाई करेगा उसने उसी खेत में रबी मौसम में चना लगानी होगी।
3. चना के प्रदर्शन प्लांट (मूंग + चना) फसल प्रणाली आधारित के तहत जिन किस ज़ज्ञते ने खरीफ में मूंग की फसल इसी स्कीम के अन्तर्गत उगाई हों वही किसान आवेदन कर सकते हैं।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 5 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचकूला व यमुनानगर) में प्रमाणित बीज उड़द में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 05-08-2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज उड़द में 10 वर्ष से कम की किस्मों रू0 5000/- क्विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Urd Seed Distribution) varities less than 10 year during Kharif-2022. (Assistance @ Rs. 5000/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	25	1.25	20	1.00	5	0.25
2	Kuk	10	0.50	8	0.40	2	0.10
3	Palwal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
4	Panchkula	40	2.00	32	1.60	8	0.40
5	Y.Nagar	15	0.75	12	0.60	3	0.15
	Total	100	5.00	80	4.00	20	1.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 17 जिलों (भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर) में प्रमाणित बीज मूंग में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 05-08-2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज मूंग में 10 वर्ष से कम की किस्मों रू0 5000/-—क्विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Moong Seed Distribution) varieties less than 10 year during Kharif-2022.							
(Assistance @ Rs. 5000/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	80	4.00	64	3.20	16	0.80
2	C.Dadri	55	2.75	44	2.20	11	0.55
3	Faridabad	10	0.50	8	0.40	2	0.10
4	Fatehabad	10	0.50	8	0.40	2	0.10
5	Gurugram	10	0.50	8	0.40	2	0.10
6	Hisar	55	2.75	44	2.20	11	0.55
7	Jhajjar	20	1.00	16	0.80	4	0.20
8	Jind	10	0.50	8	0.40	2	0.10
9	M.Garh	40	2.00	32	1.60	8	0.40
10	Mewat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
11	Palwal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
12	Panipat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
13	Rewari	25	1.25	20	1.00	5	0.25
14	Rohtak	10	0.50	8	0.40	2	0.10
15	Sirsa	25	1.25	20	1.00	5	0.25
16	Sonipat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
17	Y.Nagar	10	0.50	8	0.40	2	0.10
	Total	400	20.00	320	16.00	80	4.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 14 जिलों (चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक व सोनीपत) में प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 05-08-2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से कम की किस्मों रू0 5000/-—क्विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Arhar Seed Distribution)							
varities less than 10 year during Kharif-2022.							
(Assistance @ Rs. 5000/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	C.Dadri	10	0.50	8	0.40	2	0.10
2	Faridabad	10	0.50	8	0.40	2	0.10
3	Fatehabad	5	0.25	4	0.20	1	0.05
4	Gurugram	10	0.50	8	0.40	2	0.10
5	Hisar	5	0.25	4	0.20	1	0.05
6	Jhajjar	20	1.00	16	0.80	4	0.20
7	Jind	5	0.25	4	0.20	1	0.05
8	M.Garh	15	0.75	12	0.60	3	0.15
9	Mewat	25	1.25	20	1.00	5	0.25
10	Palwal	15	0.75	12	0.60	3	0.15
11	Panipat	5	0.25	4	0.20	1	0.05
12	Rewari	5	0.25	4	0.20	1	0.05
13	Rohtak	10	0.50	8	0.40	2	0.10
14	Sonipat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
	Total	150	7.50	120	6.00	30	1.50

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 5 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचकूला व यमुनानगर) में प्रमाणित बीज उड़द में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 05-08-2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज उड़द में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों रू0 2500/ क्विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Urd Seed Distribution) varieties More than 10 year during Kharif-2022. (Assistance @ Rs. 2500/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	10	0.25	8.00	0.20	2	0.05
2	Kuk	5	0.13	4.00	0.10	1	0.03
3	Palwal	10	0.25	8.00	0.20	2.0	0.05
4	Panchkula	25	0.63	20.00	0.50	5.0	0.13
5	Y.Nagar	10	0.25	8.00	0.20	2.0	0.05
	Total	60	1.50	48	1.20	12	0.30

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 17 जिलों (भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर) में प्रमाणित बीज मूंग में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 05-08-2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज मूंग में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों रू0 2500/ क्विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Moong Seed Distribution)							
varieties More than 10 year during Kharif-2022.							
(Assistance @ Rs. 2500/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	30	0.75	24	0.60	6	0.15
2	C.Dadri	10	0.25	8	0.20	2	0.05
3	Faridabad	5	0.13	4	0.10	1	0.03
4	Fatehabad	10	0.25	8	0.20	2	0.05
5	Gurugram	5	0.13	4	0.10	1	0.03
6	Hisar	25	0.63	20	0.50	5	0.13
7	Jhajjar	5	0.13	4	0.10	1	0.03
8	Jind	5	0.13	4	0.10	1	0.03
9	M.Garh	15	0.38	12	0.30	3	0.08
10	Mewat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
11	Palwal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
12	Panipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
13	Rewari	15	0.38	12	0.30	3	0.08
14	Rohtak	10	0.25	8	0.20	2	0.05
15	Sirsa	15	0.38	12	0.30	3	0.08
16	Sonipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
17	Y.Nagar	5	0.13	4	0.10	1	0.03
	Total	180	4.50	144	3.60	36	0.90

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 14 जिलों (चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक व सोनीपत) में प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 05-08-2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों रू0 2500/ क्विंटलया लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Pulses (Arhar Seed Distribution) varieties More than 10 year during Kharif-2022.							
(Assistance @ @ Rs. 2500/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	C.Dadri	5	0.13	4	0.10	1	0.03
2	Faridabad	5	0.13	4	0.10	1	0.03
4	Gurugram	8	0.20	6	0.16	2	0.04
5	Hisar	5	0.13	4	0.10	1	0.03
6	Jhajjar	8	0.20	6	0.16	2	0.04
8	M.Garh	8	0.20	6	0.16	2	0.04
9	Mewat	13	0.33	10	0.26	3	0.07
10	Palwal	8	0.20	6	0.16	2	0.04
11	Panipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
12	Rewari	5	0.13	4	0.10	1	0.03
13	Rohtak	5	0.13	4	0.10	1	0.03
14	Sonipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
	Total	80	2.00	64	1.60	16	0.40

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) में पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन- सूक्ष्म तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15-09-2022) तक कर सकते हैं।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन- सूक्ष्म तत्व पर रू0 200/-एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Micronutrient under NFSM- Pulses Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	200	0.40	160	0.32	40	0.08
2	Bhiwani	240	0.48	192	0.38	48	0.10
3	C.Dadri	100	0.20	80	0.16	20	0.04
4	Faridabad	100	0.20	80	0.16	20	0.04
5	Fatehabad	150	0.30	120	0.24	30	0.06
6	Gurugram	100	0.20	80	0.16	20	0.04
7	Hisar	150	0.30	120	0.24	30	0.06
8	Jhajjar	150	0.30	120	0.24	30	0.06
9	Jind	150	0.30	120	0.24	30	0.06
10	Kaithal	150	0.30	120	0.24	30	0.06
11	Karnal	150	0.30	120	0.24	30	0.06
12	Kuk	150	0.30	120	0.24	30	0.06
13	M.Garh	150	0.30	120	0.24	30	0.06
14	Mewat	145	0.29	116	0.23	29	0.06
15	Palwal	140	0.28	112	0.22	28	0.06
16	Panchkula	100	0.20	80	0.16	20	0.04
17	Panipat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
18	Rewari	140	0.28	112	0.22	28	0.06
19	Rohtak	140	0.28	112	0.22	28	0.06
20	Sirsa	140	0.28	112	0.22	28	0.06
21	Sonipat	140	0.28	112	0.22	28	0.06
22	Y.Nagar	140	0.28	112	0.22	28	0.06
	Total	3125	6.25	2500	5.00	625	1.25

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) में पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन-जैविक खाद पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15-09-2022) तक कर सकते हैं।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन-जैविक खाद पर रू0 120/-एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Bio-Fertilizer under NFSM- Pulses Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 120/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	190	0.23	152	0.18	38	0.05
2	Bhiwani	230	0.28	184	0.22	46	0.06
3	C.Dadri	150	0.18	120	0.14	30	0.04
4	Faridabad	110	0.13	88	0.11	22	0.03
5	Fatehabad	185	0.22	148	0.18	37	0.04
6	Gurugram	70	0.08	56	0.07	14	0.02
7	Hisar	220	0.26	176	0.21	44	0.05
8	Jhajjar	190	0.23	152	0.18	38	0.05
9	Jind	190	0.23	152	0.18	38	0.05
10	Kaithal	150	0.18	120	0.14	30	0.04
11	Karnal	190	0.23	152	0.18	38	0.05
12	Kuk	190	0.23	152	0.18	38	0.05
13	M.Garh	150	0.18	120	0.14	30	0.04
14	Mewat	150	0.18	120	0.14	30	0.04
15	Palwal	150	0.18	120	0.14	30	0.04
16	Panchkula	110	0.13	88	0.11	22	0.03
17	Panipat	150	0.18	120	0.14	30	0.04
18	Rewari	170	0.20	136	0.16	34	0.04
19	Rohtak	150	0.18	120	0.14	30	0.04
20	Sirsa	190	0.23	152	0.18	38	0.05
21	Sonipat	190	0.23	152	0.18	38	0.05
22	Y.Nagar	200	0.24	160	0.19	40	0.05
	Total	3675	4.41	2940	3.53	735	0.88

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) में पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन– पौध संरक्षण रसायन पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15-09-2022) तक कर सकते हैं।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन– पौध संरक्षण रसायन पर रू0 200/ एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for distribution of PP Chemical under NFSM- Pulses Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	160	0.32	128	0.26	32	0.06
2	Bhiwani	270	0.54	216	0.43	54	0.11
3	C.Dadri	145	0.29	116	0.23	29	0.06
4	Faridabad	100	0.20	80	0.16	20	0.04
5	Fatehabad	180	0.36	144	0.29	36	0.07
6	Gurugram	100	0.20	80	0.16	20	0.04
7	Hisar	230	0.46	184	0.37	46	0.09
8	Jhajjar	195	0.39	156	0.31	39	0.08
9	Jind	170	0.34	136	0.27	34	0.07
10	Kaithal	190	0.38	152	0.30	38	0.08
11	Karnal	190	0.38	152	0.30	38	0.08
12	Kuk	190	0.38	152	0.30	38	0.08
13	M.Garh	245	0.49	196	0.39	49	0.10
14	Mewat	170	0.34	136	0.27	34	0.07
15	Palwal	170	0.34	136	0.27	34	0.07
16	Panchkula	100	0.20	80	0.16	20	0.04
17	Panipat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
18	Rewari	185	0.37	148	0.30	37	0.07
19	Rohtak	170	0.34	136	0.27	34	0.07
20	Sirsa	195	0.39	156	0.31	39	0.08
21	Sonipat	210	0.42	168	0.34	42	0.08
22	Y.Nagar	210	0.42	168	0.34	42	0.08
	Total	3875	7.75	3100	6.20	775	1.55

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) में पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन– खरपतवार नाशी पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15-09-2022) तक कर सकते हैं।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन– खरपतवार नाशी पर रू0 200/ एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Weedicide under NFSM- Pulses Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	250	0.50	200	0.40	50	0.10
2	Bhiwani	450	0.90	360	0.72	90	0.18
3	C.Dadri	250	0.50	200	0.40	50	0.10
4	Faridabad	165	0.33	132	0.26	33	0.07
5	Fatehabad	350	0.70	280	0.56	70	0.14
6	Gurugram	150	0.30	120	0.24	30	0.06
7	Hisar	380	0.76	304	0.61	76	0.15
8	Jhajjar	250	0.50	200	0.40	50	0.10
9	Jind	250	0.50	200	0.40	50	0.10
10	Kaithal	200	0.40	160	0.32	40	0.08
11	Karnal	250	0.50	200	0.40	50	0.10
12	Kuk	280	0.56	224	0.45	56	0.11
13	M.Garh	280	0.56	224	0.45	56	0.11
14	Mewat	280	0.56	224	0.45	56	0.11
15	Palwal	200	0.40	160	0.32	40	0.08
16	Panchkula	150	0.30	120	0.24	30	0.06
17	Panipat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
18	Rewari	280	0.56	224	0.45	56	0.11
19	Rohtak	200	0.40	160	0.32	40	0.08
20	Sirsa	262	0.52	210	0.42	52.4	0.10
21	Sonipat	250	0.50	200	0.40	50	0.10
22	Y.Nagar	250	0.50	200	0.40	50	0.10
	Total	5577	11.15	4462	8.92	1115	2.23

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सभी जिलों (22 जिलों) में कृषि उपकरण– हस्त चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15-09-2022) तक कर सकते हैं ।

कृषि उपकरण– हस्त चालित स्प्रे पम्प रू0 600 /– युनिट सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है । सामान्य वर्ग के किसानों के लिए उपलब्ध है ।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Manual Sprayers) under NFSM- Pulses Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 600/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Nos.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Nos.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Nos.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	20	0.12	16	0.10	4	0.02
2	Bhiwani	25	0.15	20	0.12	5	0.03
3	C.Dadri	15	0.09	12	0.07	3	0.02
4	Faridabad	15	0.09	12	0.07	3	0.02
5	Fatehabad	15	0.09	12	0.07	3	0.02
6	Gurugram	10	0.06	8	0.05	2	0.01
7	Hisar	25	0.15	20	0.12	5	0.03
8	Jhajjar	20	0.12	16	0.10	4	0.02
9	Jind	15	0.09	12	0.07	3	0.02
10	Kaithal	15	0.09	12	0.07	3	0.02
11	Karnal	15	0.09	12	0.07	3	0.02
12	Kuk	15	0.09	12	0.07	3	0.02
13	M.Garh	15	0.09	12	0.07	3	0.02
14	Mewat	15	0.09	12	0.07	3	0.02
15	Palwal	10	0.06	8	0.05	2	0.01
16	Panchkula	10	0.06	8	0.05	2	0.01
17	Panipat	10	0.06	8	0.05	2	0.01
18	Rewari	15	0.09	12	0.07	3	0.02
19	Rohtak	15	0.09	12	0.07	3	0.02
20	Sirsa	25	0.15	20	0.12	5	0.03
21	Sonipat	10	0.06	8	0.05	2	0.01
22	Y.Nagar	15	0.09	12	0.07	3	0.02
	Total	345	2.07	276	1.66	69	0.41

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रै पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सभी जिलों (22 जिलों) में कृषि उपकरण–बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–09–2022) तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरण– बैटरी चालित स्प्रे पम्प रू0 3000/- युनिट सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Power Knap sack Sprayer) under NFSM- Pulses Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 3000/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Nos.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Nos.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Nos.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	30	0.90	24	0.72	6	0.18
2	Bhiwani	40	1.20	32	0.96	8	0.24
3	C.Dadri	20	0.60	16	0.48	4	0.12
4	Faridabad	20	0.60	16	0.48	4	0.12
5	Fatehabad	20	0.60	16	0.48	4	0.12
6	Gurugram	20	0.60	16	0.48	4	0.12
7	Hisar	40	1.20	32	0.96	8	0.24
8	Jhajjar	20	0.60	16	0.48	4	0.12
9	Jind	20	0.60	16	0.48	4	0.12
10	Kaithal	20	0.60	16	0.48	4	0.12
11	Karnal	20	0.60	16	0.48	4	0.12
12	Kuk	20	0.60	16	0.48	4	0.12
13	M.Garh	20	0.60	16	0.48	4	0.12
14	Mewat	20	0.60	16	0.48	4	0.12
15	Palwal	20	0.60	16	0.48	4	0.12
16	Panchkula	20	0.60	16	0.48	4	0.12
17	Panipat	20	0.60	16	0.48	4	0.12
18	Rewari	20	0.60	16	0.48	4	0.12
19	Rohtak	20	0.60	16	0.48	4	0.12
20	Sirsa	30	0.90	24	0.72	6	0.18
21	Sonipat	20	0.60	16	0.48	4	0.12
22	Y.Nagar	20	0.60	16	0.48	4	0.12
	Total	500	15.00	400	12.00	100	3.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा